प्रारूप-9

नियम 8(2) देखिये

संख्या 01096/2020-2021 दिनांक 04/09/2020

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/HAT/04815/2020-2021 पत्रावली संख्या:AG-63278 दिनांक:2015-2016

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **गायत्री देवी एजूकेशनल सोसाइटी, गायत्री हॉस्पीटल वैजनाथ मंदिर के पास, आगरा बाईपास रोड, सादाबाद, हाथरस, हाथरस, 281306** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 757/2015-16 दिनांक-03/08/2015 को दिनांक-03/08/2020 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है | 1100 रूपये की नवीनीकरण फ़ीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(VINOD KUMAR SINGH)
8B206BBF34BACCF353DD390B1DA6EE14359A91F4
Date: 04/09/2020 11:13:12 AM, Location: Agra.

जारी करने का दिनांक-04/09/2020

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये

रु.10

TEN RUPEES

Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

71AD 606714

यह जनरल स्टाम्प पेपर गायत्री देवी एजूकेशनल सोसाइटी /

विभाग हाथरस फाइल नं० 63278 के साथ लगाया है।

2019-20

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश, आगरा

वरिष्ठ सहायक

आगरा

13-579

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 71AD 606715

यह जनरल स्टाम्प पेपर गायत्री देवी एजूकेशनल सोसाइटी /

जिला हाथरस फाइल नं० रजि. 63258 के साथ संलग्न है।

संशो० स्वीकृत

कार्यालय उप निबंधक [illegible] सोसाइटीज

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश, आगरा

वरिष्ठ सहायक

कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

आगरा क्षेत्र, आगरा

13-5-19

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

71AD 606716

यह बनरल स्टाम्प पेपर गायत्री देवी एज्यूकेशनल सोसाइटी /

जिला हाथरस के साथ संलग्न है। फाइल नं० 63278

संशोधित नियमावली

उप निबन्धक ... उत्तर प्रदेश, आगरा

वरिष्ठ सहायक
कार्या॰ उप निबंधक फार्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
13-5-14

क्षेत्रीय कार्यालय उप निबन्धक, फर्म्स सोसायटी तथा चिट्स

339/12ए, आवास विकास कॉलोनी, सिकन्दरा योजना, आगरा

संख्या 567 Ag-63278 /आगरा/ दिनांक 8-5-19

सेवा में, श्रीमती सुजाता प्रसाद (प्रबंधक/सचिव)
संस्था - आयशी देवी एजुकेशनल सोसाइटी,
आयशी हॉस्पीटल, बैजनाथ मंदिर के पास अधपा चौराहा
रोड लाडाबाद, हाथरस

महोदय,

आप द्वारा नवीनीकरण सम्बन्धी प्रपत्र दिनांक............................के संदर्भ में निम्न प्रपत्र/अभिलेख वंछित है, प्रस्तुत करें। संस्था की पत्रावली संख्या का स्पष्ट उल्लेख करें। पत्रावली संख्या के अभाव में कोई कार्यवाही सम्भव नहीं हो पा रही है।

1. मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए।
2. प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष..तक अलग-अलग वर्षवार नाम, पता, पद, व्यवसाय सहित प्रस्तुत करें। यदि परिवर्तन हुआ हो तो सूची वर्ष..में भूतपूर्व पदा./सदस्यों के हस्ताक्षर करायें।
3. संस्था की बैलेंस शीट (आय-व्यय एवं प्राप्ति-भुगतान विवरण सहित) वर्ष...तक अलग-अलग वर्षवार प्रस्तुत करें जिससे संस्था की देयताओं एवं परिसंपत्तियों तथा संस्था द्वारा संचालित गतिविधियों की जानकारी हो सके।
4. पंजीकृत विधान के अनुसार देय चुनाव कार्यवाही में कुल संख्या व उपस्थित संख्या का उल्लेख करते हुए प्रस्तुत करें। कार्यवाही 14 दिन से अधिक समय व्यतीत होने पर चुनाव की पुष्टि कार्यवाही भी प्रस्तुत करें।
5. साधारण सभा की सूची पिता/पति के नाम, पता, सदस्यता का प्रकार सहित प्रस्तुत करें।
6. नवीनकरण शुल्क...रुपये दिनांक..............................तक प्रस्तुत करें।
7. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, सांसद, विधायक निधि से प्राप्त अनुदान का विवरण दें व उपभोग का प्रमाण पत्र भी दें।
8. नवीनीकरण से सम्बन्धित नोटरी शपथ पत्र फोटो सहित प्रस्तुत करें।
9. संस्था के क्रिया-कलाप तथा सम्पत्ति का विवरण दें तथा पिछले तीन वर्षों की प्रगति रिर्पोट प्रस्तुत करें।
10. संस्था के नाम परिवर्तन हेतु अनुमति प्राप्त होने के बाद संशोधित नाम का स्मृतिपत्र, संशोधित नियमावली तथा सम्बन्धित कार्यवाही प्रस्तुत की जाये।
11. उद्देश्य संशोधन के सम्बन्ध में सर्वप्रथम प्रबन्ध समिति द्वारा पारित प्रस्ताव तथा 10 दिन बाद साधारण सभा की विशेष बैठक ठीक 30 दिन साधारण सभा की विशेष बैठक में पुनः पास कर संशोधित स्मृति पत्र व कार्यवाही के साथ प्रस्तुत करें।
12. नियम संशोधन हेतु नियमानुसार साधारण सभा के पास कराकर कार्यवाही व संशोधित नियमावली भी प्रस्तुत करें।
13. संस्था द्वारा संचालित अधिष्ठान (विद्यालय/औषधालय या अन्य कोई प्रकल्प) की भूमि-भवन का नजरी नक्शा भी प्रस्तुत करें।
14. संस्था के समस्त मूल अभिलेख कार्यवाही रजिस्टर, सूचना रजिस्टर, सदस्यता रजिस्टर, कैश-बुक एवं रसीद बुक तथा बैंक पास बुक आदि मूल रूप में अवलोकनार्थ प्रस्तुत करें। जिससे संस्था के साधारण सभा के सदस्यों का सत्यापन किया जा सकें।
15. आप द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों एवं शपथ पत्र के आधार पर संस्था के नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाती है। नियमानुसार वांछित शुल्क रु०........................दिनांक.....................तक प्रस्तुत करें।
16. आप द्वारा प्रस्तुत प्रपत्रों के आधार पर संशोधित स्मृति पत्र/सं. नियमावली/प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2019-20 फाईल कर लिया गया है।
17. सभी प्रपत्र पृष्ठ के एक ही ओर टंकित कराकर प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था के सेक्रेटरी तथा 3 सदस्यों के हस्ताक्षर व संस्था के नाम की मुहर लगाकर प्रस्तुत करें।

Note- संशोधन व प्रबंधसमिति सूची० वर्ष 2019-20 के सम्बंध मे यदि कोई अन्य तथ्य प्रकाश मे आता है तो यह कार्य उक्त प्रभावित होंगे/

भवदीय

उप निबन्धक
आगरा

OIL

सेवा में,

श्रीमान् उपनिबन्धक महोदय,

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

12ए/339 आ0वि0कालोनी सिकन्दरा योजना

आगरा

विषय – संस्था गायत्री देवी एजूकेशनल सोसाइटी, गायत्री हॉस्पीटल, वैजनाथ मंदिर के पास, आगरा बाईपास रोड, सादाबाद, हाथरस का पता परिवर्तन एवं संशोधित नियमावली व प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2019–20 को पंजीकृत करने के संबंध में।

पत्रावली सं0 AG 63278

महोदय,

निवेदन करना है कि प्रार्थी अपनी संस्था की पता परिवर्तन एवं संशोधित नियमावली व प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2019–20 के पंजीकृत कराने हेतु शपथ–पत्र तथा अन्य कार्यवाही प्रपत्र जमा कर रहा हूँ ।

अतः श्रीमान् जी से अनुरोध है कि संस्था की पता परिवर्तन करते हुए संशोधित नियमावली व प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2019–20 को पंजीकृत करनें की कृपा करें ।

आपकी अति कृपा होगी ।

दिनांक –29/04/2019

29/4/19

डाक प्राप्त
कार्यालय उप निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

भवदीय

Sujata Prasad

(श्रीमती सुजाता प्रसाद)
प्रबन्धक/सचिव

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम – गायत्री देवी एजूकेशनल सोसाइटी,
2. संस्था का पता – जलेसर रोड, रेलवे स्टेशन के पास, ब्लांक सहपऊ, तह0 सादाबाद, जिला हाथरस।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण उ0प्र0 होगा
4. संस्था के उद्देश्य – संस्था के उद्देश्य स्मृति पत्र के अंकितानुसार होंगे ।
5. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यता के वर्ग :–
   1. **संरक्षक सदस्य** :– जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 1001/– रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई अचल या चल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का संरक्षक सदस्य बनाया जायेगा ।
   2. **आजीवन सदस्य** :– जो सज्जन इस संस्था को एक मुश्त 501/– रूपया सदस्यता शुल्क के रूप में देगा अथवा इतने या इससे अधिक मूल्य की कोई चल या अचल सम्पत्ति देगा वह सज्जन इस संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।
   3. **साधारण सदस्य** :– जो सज्जन इस संस्था को प्रतिवर्ष 250/– रूपया सदस्यता शुल्क व चंदा के रूप में देगा वह सज्जन इस समिति का साधारण सदस्य बनाया जायेगा।
   4. **विशिष्ट सदस्य** :– ऐसे सज्जन जिनकी आवश्यकता इस संस्था को महसूस हो रही हो जो कि संस्था को तन,मन,धन से सहयोग करने के लिये तत्पर रहते हों व जो विद्वान होंगे, सरकारद्वारा सम्मानित एवं उपाधि प्राप्त सदस्यों एवं जनप्रतिनिधियों को वर्तमान कार्यकारिणी संस्था का विशिष्ट सदस्य मनोनित करेगी और यह सदस्यता शुल्क से मुक्त होंगे और इनकी स्वेच्छा से दिया गया दान, चंदा संस्था को स्वीकार होगा। ऐसे सदस्यों को चुनाव में मत देने अथवा भाग लेने का अधिकार नहीं होगा परन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसे सदस्यों की सख्या 5 से अधिक न होगी।

6. सदस्यता की समाप्ति :–
   1. सदस्य की मृत्यु होने पर, पागल या दिवालिया घोषित होने पर ।
   2. आचरण भ्रष्ट होने पर एवं सस्था विरोधी कार्य करने पर।
   3. किसी न्यायालय द्वारा अनैतिक कार्य करने अथवा दण्डित किये जाने पर।
   4. सदस्यता शुल्क समय से अदा न करने पर।
   5. संस्था की लगातार तीन बैठकों में बिना कारण बताये अनुपस्थित होने पर।
   6. त्यागपत्र दिये जाने पर व उसे आम सभा के द्वारा पास होने पर ।
   7. संस्था के अहित में कार्य करने पर ।

7. संस्था के अंग :– (अ) साधारण सभा, (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

8. साधारण सभा :– अ. **गठन** :– साधारण सभा का गठन संस्था के सभी सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा।

ब. बैठकें :– साधारण सभा की बैठक वर्ष में 4 बार तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकता अनुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलायी जा सकती है।

स. **सूचना अवधि** :– साधारण सभा की सूचना कम से कम 15 दिन पूर्व व विशेष बैठकों की सूचना 3 दिन पूर्व सूचना के किसी उचित या पर्याप्त माध्यम से दी जायेगी।

द. **गणपूर्ति** :– गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा ।

य. **विशेष वार्षिक अधिवेषन की तिथि** :– संस्था का विशेष वार्षिक अधिवेषन प्रतिवर्ष होगा जिसकी तिथि संस्था की कार्यकारिणी समिति के 2/3 बहुमत से तय की जायेगी।

र. **साधारण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य** :–

1. संस्था की प्रबन्ध समिति का समय–समय पर चुनाव सम्पन्न करवाना।
2. नियमों–विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 बहुमत से कराना।

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबं... फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
1519

Devendra Singh Rampal Singh Sujata Prasad Ravindra Singh

3. वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करने पर विचार विमर्श कर उसे स्वीकृत / अस्वीकृत करना।

9. प्रबन्धकारिणी समिति :–

अ. गठन :– प्रबन्धकारिणी समिति का गठन संस्था की साधारण सभा में से 7 सदस्यों को चुनकर किया जायेगा जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, एक प्रबन्धक / सचिव, एक उपप्रबन्धक / उपसचिव, एक कोषाध्यक्ष, एवं शेष सदस्य होंगे। प्रबन्ध समिति में सदस्यों की संख्या आवश्यकतानुसार कम या अधिक की जा सकती है जो कि कम से कम 7 व अधिकतम 15 होगी।

ब. बैठकें :– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक वर्ष में 4 बार तथा विशेष बैठक कभी भी आवश्यकतानुसार सदस्यों को सूचना देकर बुलाई जा सकती है।

स. सूचना अवधि :– प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठकों की सूचना सदस्यों को एक सप्ताह पूर्व तथा विशेष बैठक की सदस्यों को एक दिन पूर्व सूचना के किसी भी उचित माध्यम से दी जायेगी ।

द. गणपूर्ति :– गणपूर्ति के लिये कुल सदस्यों की संख्या के 2/3 सदस्यों की उपस्थिति का कोरम होगा।

य. रिक्त स्थान की पूर्ति :– प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत यदि कोई आकस्मिक स्थान रिक्त होता है तो इस स्थान / पद की पूर्ति साधारण सभा के 2/3 बहुमत से प्रबन्धकारिणी समिति में से शेष कार्यकाल के लिये कर ली जायेगी।

र. प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. संस्था की उन्नति एवं विकास हेतु कार्य करना एवं आपसी विवादों को सुलझाना।
2. नियमों–विनियमें में संशोधन–परिवर्तन 2/3 बहुमत से कर उसे साधारण सभा से स्वीकृत करना।
3. वार्षिक बजट व वार्षिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना।
4. संस्था के विकास हेतु केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों / मंत्रालयों एवं अन्य संस्थानों, प्रतिष्ठानों, निकायों, नागरिकों आदि से दान, चन्दा, ऋण, अनुदान एवं वित्तीय सहायता प्राप्त करना तथा प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ चैरिटेबिल कार्यों में व्यय करना।
5. सस्था के विकास हेतु उप इकाईयों एवं उप समितियों की स्थापना / गठन करना व उनका संचालन करना ।
6. संस्था अपने विकास कार्यों के लिए सम्पत्ति का क्रय–विक्रय कर सकती है एवं बैंक से ऋण प्राप्त कर सकती है व अपनी सम्पत्ति को बैंक में बन्धक रख सकती है ।

ल– **कार्यकाल** :– प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों का कार्यकाल एक वर्ष का होगा।

10. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :–

1. अध्यक्ष

1. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की मीटिंगों की अध्यक्षता करना।
2. मीटिंग बुलाना व स्थगित करना, किसी विषय पर बराबर मत होने की दशा में अपना निर्णायक मत देना।
3. संस्था की ओर से समस्त प्रकार का पत्राचार करना, मीटिंग बुलाना व उसकी सूचना सदस्यों तक पहुँचाना, मीटिंग कार्यवाही लिखना।
4. संस्था के कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना।
5. संस्था की चल–अचल सम्पत्ति की सुरक्षा करना, दान–अनुदान तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त आय सम्पत्ति व सदस्यता शुल्क प्राप्त करना । प्राप्त आय को संस्था के कोष में जमा करना ।
6. संस्था की ओर से समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही की पैरवी करना ।
7. संस्था के अन्तर्गत संचालित संस्थानों व विद्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों एवं कार्यकर्ताओं की नियुक्ति , निष्कासन, पदोन्नति एवं पदच्युत करना, उनकी सेवा शर्त के नियम बनाना, वेतन भत्ते तय करना व उनका भुगतान करना, वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन तैयार करना।

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
13519

Surendra Singh Rampal Singh Sujata Bansal Ravindra Singh

8. साधारण सभा के सदस्य बनाने का अधिकार प्रबन्धक/सचिव का होगा ।

2. उपाध्यक्ष –

1. अध्यक्ष की अनुपस्थित में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना ।
2– सामान्य स्थिति में अध्यक्ष के कार्यों में उनका सहयोग करना।

3. प्रबन्धक/सचिव

संस्था की कार्यकारिणी समिति व साधारण सभा द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना तथा संस्था की आम देखभाल करना।

4. उपप्रबन्धक/उपसचिव

1– प्रबन्धक/सचिव की अनुपस्थिति में उनके द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना ।

2– सामान्य स्थिति में प्रबन्धक/सचिव के कार्यों में सहयोग करना ।

5. कोषाध्यक्ष

1. संस्था के आय व्यय का लेखा–जोखा रखना व कोष को खाते में जमा करना।
2. प्रबन्धक/सचिव द्वारा स्वीकृत कार्यों को करना व बिल वाऊचरों का भुगतान करना।

11. संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन प्रकिया :–

संस्था के नियमों–विनियमों में संशोधन, परिवर्तन, परिवर्धन सोसा० रजि० अधि० की संगत धारा के अन्तर्गत साधारण सभा की 2/3 बहुमत से करना ।

12. संस्था का कोष व लेखा व्यवस्था :–

संस्था का कोष किसी भी बैंक अथवा पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा। जिसका संचालन अध्यक्ष, प्रबन्धक/सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किन्हीं दो के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा किया जायेगा ।

13. संस्था का लेखा परिक्षण :–

संस्था का लेखा परिक्षण प्रतिवर्ष सत्र समाप्ति किसी योग्य ऑडिटर व आवश्यकतानुसार चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा कराया जायेगा।

14. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :–

संस्था द्वारा होने वाली समस्त प्रकार की अदालती कार्यवाही के संचालन की पैरवी संस्था के प्रबन्धक/सचिव द्वारा अथवा उनके अधिकृत व्यक्ति द्वारा की जायेगी ।

15. संस्था के अभिलेख :–

1. सदस्यता रजिस्टर	2. कार्यवाही रजिस्टर
3. कैश–बुक, रशीद बुक	4. एजेंडा रजिस्टर
5. निरीक्षण रजिस्टर	

16. संस्था का विघटन :–

यदि भविष्य में कभी संस्था का विघटन होता है तो संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जावेगी।

दिनांक 01-04-19 सत्यप्रतिलिपि

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

Devendra Singh   Rampal Singh   Sujata Prasad   Ravindra Singh

गायत्री देवी एजूकेशनल सोसाइटी,

जलेसर रोड, रेलवे स्टेशन के पास, ब्लांक सहपऊ, तह0 सादाबाद, जिला हाथरस

प्रबन्ध समिति के सदस्यों की सूची वर्ष–2019–20

क्र0 सं0	नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1–	श्री देवेन्द्र सिंह	श्री रामपाल सिंह	म0सं0 148/जी–3, शालीमार गार्डन--2, साहिबाबाद, गाजियाबाद	अध्यक्ष	स0सेवा
2–	श्री धर्मेन्द्र सिंह	श्री रामपाल सिंह	ढकपुरा, जलेयसर रोड, हाथरस	उपाध्यक्ष	स0सेवा
3–	श्रीमती सुजाता प्रसाद	श्री देवेन्द्र सिंह	म0सं0 148/जी–3, शालीमार गार्डन--2, साहिबाबाद, गाजियाबाद	प्रबन्धक/ सचिव	गृहकार्य
4–	श्रीमती उर्मिला प्रसाद	श्री जगदीश प्रसाद	606/2, पिलकिगंटन रोड, नियर आई0सी0एफ0 गेस्ट हाउस, अयानावरम, चेन्नई	उपप्रबन्धक/ उपसचिव	स0सेवा
5–	श्री रविन्द्र सिंह	श्री रामपाल सिंह	म0सं0 148/जी–3, शालीमार गार्डन--2, साहिबाबाद, गाजियाबाद	कोषाध्यक्ष	स0सेवा
6–	श्री रामपाल सिंह	श्री करन सिंह	ए 207 शालीमार गार्डन साहिबाबाद, गाजियाबाद	सदस्य	स0सेवा
7–	श्रीमती गायत्री देवी	श्री रामपाल सिंह	ए 207 शालीमार गार्डन साहिबाबाद, गाजियाबाद	सदस्य	गृहकार्य

(कृ.कृ. केडसारा)

Devendra Singh

Rampal Singh

Sujata Prasad

Ravindra Singh

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक, फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
13-5-19

संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम – गायत्री देवी एजूकेशनल सोसाइटी
2. संस्था का पता – जलेसर रोड, रेलवे स्टेशन के पास, ब्लांक सहपऊ, तह0 सादाबाद, जिला हाथरस।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र – सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश होगा
4– संस्था के उद्देश्य – संस्था के निम्न लिखित उद्देश्य होंगे –

1. समिति के उद्देश्य शिक्षा के उत्तरोतर विकास हेतु कार्यक्षेत्र में प्राईमरी से लेकर जूनियर हाईस्कूल, हाईस्कूल, इण्टर कॉलेज आवश्यकता होने पर डिग्री कॉलेज, तकनीकी संस्थान, आई०टी०आई निशुल्क चिकित्सा संस्थान, सी०बी०एस०ई० विद्यालय, मदरसा तथा तकनीकी शिक्षा दूरस्थ शिक्षा, ग्रामोद्योगी व कृषि शिक्षा, इंजीनियरिंग संस्थानों से सम्बन्धित शोध कार्य आदि की स्थापना करना और उनका निःशुल्क विधिवत संचालन कर बालक, युवक, युवतियों को स्वावलम्बी एवं आत्म निर्भर बनाना।
2. समिति के उद्देश्य निर्धन, अनाथ, अपंग बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था तथा उन्हें छात्रवृत्तियाँ देना व उनकी सुविधा हेतु निःशुल्क पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, क्रीडा केन्द्रों की स्थाना करना।
3. असहाय बच्चों को शैक्षणिक भरण पोषण तथा उन्हें योग्य बनाने हेतु प्रयास करना और निःशुल्क स्वास्थ्य केन्दों, बाल आश्रम, वृद्धा आश्रम व शिक्षा संस्थानों की स्थापना करना।
4. केन्द्रीय व राज्य सरकार, निगम बोर्ड, सम्बन्धित विभागों के वित्तीय सहयोग से लोगों के कल्याण हेतु सुलभ प्रशिक्षण जैसे सिलाई, कडाई, कताई, बुनाई, हस्तशिल्पकला, वस्तुकला, दस्तकारी, दरी कालीन, ड्राईंग पैंटिंग, कला प्रशिक्षण तथा टंकण, आशुलिपि, कम्प्यूटर, सॉफटवेयर, हार्डवेयर नेटवर्किंग एवं फैशन डिजायनिंग एवं ब्यूटीशियन आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना तथा उनमें जागरूकता पैदा करना।
5. महिलाओं एवं बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के पिछडे एवं मलिन बस्तियों में स्वच्छता, साक्षरता, परिवार नियोजन, मातृ शिशु पोषण, महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम, बाल टीकाकरण कार्यक्रमों, धर्मार्थ चिकित्सालय आदि को चलाना व उनके कल्याण हेतु सरकार की रोजगार परक प्रशिक्षण देना एवं निःशुल्क योग व प्राकृतिक चिकित्सा प्रदान करना।
6. सभी प्रकार की बीमारियों की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना तथा निःशुल्क दबाओं का वितरण करना।
7. नागरिकों में सामाजिक जन चेतना जागृत करना एवं विज्ञापन, पोस्टर बैनर आदि के माध्यम से एड्स से बचने के उपाय सुझाना एवं एड्स पर प्रभावी अंकुश लगाने का भरसक प्रयास करना और उनका राज्य, केन्द्र सरकार से पूर्ण सहायता लेना एवं संस्था के उद्देश्यों के प्रचार-प्रसार के लिये पत्रिका, इंटरनेट इत्यादि एवं शासन-प्रशासन की सहायता लेना।
8. संस्था का उद्देश्य पेयजल समस्या को दूर करने के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करना जगह जगह हैंडपंप लगवाना, पानी की टंकी की स्थापना करना तथा स्वजल धारा, पेयजल की पूर्ण व्यवस्था करना तथा खारे पानी व फ्लोराइडयुक्त पानी की समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में वाटर फिल्टर पम्पों की व्यवस्था करना।
9. नागरिकों के कल्याणार्थ वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चलाई जा रही योजनाओं का सफल संचालन व उनक उन्हे जानकारी देना।
10. संस्था का उद्देश्य भ्रुण हत्या रोकने का प्रयास करना तथा पर्यावरण के शुद्धीकरण हेतु पॉलीथीन के प्रति लोगों को जागरूक करना।
11. निःशुल्क एम्बूलेंस सेवा उपलब्ध कराना' नेत्र चिकित्सा शिविरों' रक्तदान शिविरों के आयोजन शासन प्रशासन की सक्षम अनुमति के उपरान्त करना।
12. दैवीय आपदाओं जैसे बाढ॰ ' सूखा' भूकम्प' आगजनी' एक्सीडेंट आदि के समय पीडित जनता के मध्य राहत कार्य करना' उन्हें निःशुल्क दवा भोजन' वस्तु आदि की मदद पहुँचाना।
13. समाज के उपेक्षित लोगों जैसे अंधे, कुष्ठरोग व मूक बधिरों, विकलांगों व लाचार, वृद्धजनों के कल्याण के लिए कार्य करना व बालाश्रम, अनाथालय एवं वृद्धाश्रम तथा चैरिटेबिल हॉस्पीटल की स्थापना करना और समय-समय पर दूध, वस्त्र,

सत्य प्रतिलिपि

वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा

13519

Devendra Singh Rampal Singh Sujata Bajpai Ravindra Singh

अनाज, कम्बल, फलों व दबाओं का निःशुल्क वितरण करना एवे रैन बसेरों, शौचालयों तथा पीने के लिए पानी की व्यवस्था करना।

14. निर्धन एवं अनाथ लोगों व पिछडे क्षेत्र के विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभागों, मंत्रालयों जैसे स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, यूनीसैफ, इंडको, महिला एवं बाल विकास विभाग, कपार्ट, काई, सिप्सा, नावार्ड, अवार्ड, नौराड, डूडा, सूडा, राष्ट्रीय महिला कोष, बाल विकास पुष्टाहार, महिला कल्याण निगम, वस्तुशिल्प हस्त मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, समाज कल्याण बोर्ड, केन्द्रीय समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, मस्त्य विभाग, राजीव गांधी फाउंडेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद, अनुवित्त विकास निगम, उद्योग निदेशालय, लघु उद्योग निदेशालय, अल्पसंख्यक आयोग/बोर्ड, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, नेहरू युवा योजना, आदि के वित्तीय सहयोग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं व कार्यक्रमों को चलाकर नागरिकों का सर्वांगीण विकास करना एवं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का सफल संचालन करना।
15. संस्था का उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में ग्रामोद्योग के अन्तर्गत आने वाले लघु व कुटीर उद्योग की स्थापना कर मोमबत्ती, अगरबत्ती, साबुन आदि बनाने का श्रमिकों व बेरोजगारों को निःशुल्क रोजगार की शिक्षा दिलाने का प्रयास करना तथा शिक्षण, प्रशिक्षण हेतु कच्चा माल खरीदना एवं तैयार माल को विक्रय करना, प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ व्यय करना।
16. सरकारी, गैर सरकारी, अर्द्ध-सरकारी विभागों, मंत्रालयों, उत्तरप्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, खादी आयोग, निगमों, सरकारी बैंकों, राष्ट्रीकृत बैंकों से आर्थिक सहायता, नियमानुसार ऋण व अनुदान सेवा एवं अन्य सहयोग लेना।
17. संस्था का कार्यक्षेत्र वृक्षारोपण, प्रदूषण नियन्त्रण, जनसंख्या नियन्त्रण केन्दों, नशाबन्दी कार्यक्रमों आदि का संचालन करना।
18. संस्था का उद्देश्य कृषकों को बढावा देना त था मशरूम की खेती करना, देशी खाध, कम्पोज खाध, बीज एवं कीटनाशक औषधियों का निर्माण करना था निःशुल्क वितरित करना तथा कृषि प्रधान देश में किसानों की सोचनीय दशा को ध्यान में रख्तें हुए कृषि उन्नति को बढापा देना। किसानों में भाईचारे की भावना पैदा करना एवं समस्याओं को सुलझाना व शासन प्रशासन तक पहुंचाना।
19. संस्था का उद्वेश्य पशुधन जानवरो के निशुल्क स्वास्थ्य संरक्षण, संवर्धन करना व उनके लिए निःशुल्क पशु चिकित्सालय पुशशाला की व्यवस्था करना व उनके प्रति मानवीय संवेदनाओं को प्रेरित करने व जानकारी हेतु जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।
20. प्रदेश में तेजी से लुप्त मूल प्रजाति गौवश रखा संबद्धन विकास व गौशाला की स्थापना करना एवं उसके द्वारा आयोजित सेमिनार आदि में भाग लेना व सहयोग करना।
21. संस्था का उद्देश्य निःशुल्क दहेज रहित सामूहिक विवाहों के आयोजन में सहयोग करना तथा गरीब, निर्धन कन्याओं की शादी करवाना तथा विधवा परित्यक्ताओं को पुनर्विवाह हेतु प्रोत्साहित करना।
22. जल प्रबन्धन, कृषि, अभियन्त्रण, कृषि रक्षा, कृषि आधारित ग्रामोद्योग के संबध में कार्य करना तथा उन्नत कृषि को बढावा देना तथा किसानों को इसके उपाय सुझाना तथा कृषि विकास केन्द्रो की स्थापना हेतु निःशुल्क परामर्श देना।
23. संस्था का उद्देश्य समान उद्देश्य वाली संस्थाओं से सम्पर्क स्थापित करना व उनका सहयोग करना।
24. संस्था का उद्देश्य अलाभकारी अव्यवसायिक एवं कल्याणकारी कार्यों के लिए है।
25. यह कि राज्य सरकार/भारत सरकार की विधि द्वारा स्थापित बोर्ड/विश्व विद्यालयों द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों उपाधियों हेतु प्रदान किये जाने वाले प्रमाण पत्र न प्रदान किया जायेगा ओर न ही ऐसे पाठ्यक्रम बिना राज्य सरकार/भारत सरकार की अनमति के संचालित ही किये जायेंगे।

सत्य प्रतिलिपि
वरिष्ठ सहायक
कार्या० उप निबंधक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
आगरा क्षेत्र, आगरा
13/5/19

Rampal Singh Sujata Bayad Ravindra Singh